

372/संग्रह

76-5-96

उत्तर प्रदेश सरकार
अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम क्लब अनुभाग-2
संख्या:-882/52-2-96-7/76

अधिसूचना

दिनांक 23 मई 1996

गणित क्लब अधिनियम, 1995। अधिनियम संख्या, 43 तंत्र 1995। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 जनवरी, 1996 को प्रयुक्त हो चुका है,

आरक्ष्य अल्प संख्यक अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते राजस्थान निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम क्लब उत्तर प्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से उक्त दिनांक को पदेन अवर सौ कमान्डर क्लब उत्तर प्रदेश के रूप में नियुक्त करते हैं।

 आशा से,

1990 लीम खां
सचिव,

संख्या:- 11882/52-2-96-7-96, तददिनांक

प्रतिनिधि अधिसूचना के जैसी खान्दर की प्रति सहित संग्रह निदेशक राजकीय प्रेस, देहरादून, मद्रास को सरकारी मूद्र के आगामी अंक में प्रकाशनाथ प्रेषित:-




1990 लीम खां
सचिव,

संख्या:-121 882/52-2-96-7/96, तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक जानकारी हेतु प्रेषित:-

- 111 सौ कमान्डर क्लब, 30 50, लखनऊ ।
- 121 समस्त मजदूरानुसू, उत्तर प्रदेश ।
- 131 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 141 निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण, 30 प्रयागराज।
- 151 प्रबन्ध निदेशक, 30 50 क्लब विभागा निम्न, लखनऊ ।
- 161 समस्त जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, 30 50,

 आशा से,

1990 लीम खां
सचिव,